[2018] 3 एस. सी. आर. 1027

/

आईबीआई कंसल्टेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

डीएससी लिमिटेड

(मध्यस्थता मामला (सी) 2016 का सं. 53) अप्रैल 16,2018

/

**[**आर**.** के**.** अग्रवाल और एस**.** अब्दुल नजीर**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -एस. 11 (6) आर/डब्ल्यू. एस.11(9) – मध्यस्थ की नियुक्ति-एस के अंतर्गत दायरा।11(6) एस के साथ पढ़ें।11(9) मध्यस्थ की नियुक्ति की सीमा तक बहुत सीमित है-न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता मौजूद है-मध्यस्थ की नियुक्ति के प्रश्न का निर्णय लेते समय, न्यायालय को मामले के गुण-दोष को नहीं छूना पड़ता है क्योंकि यह पक्षकारों के मामले में पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है-तत्काल मामले में, मध्यस्थता खंड अनुबंध में मौजूद था-तदनुसार, विवादों का निर्णय लेने के लिए नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ।

/

/

अंतर्वर्ती आवेदन और याचिकाओं का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय

अभिनिर्धारित किया **:1.** पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात अधिनियम की धारा **11** के अंतर्गत याचिका के पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व है और मध्यस्थ को भेजे जाने वाले विवाद **(**ओं**)** का अस्तित्व अधिनियम की धारा **11** के अंतर्गत एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पूर्ववर्ती शर्त है। मध्यस्थ की नियुक्ति के प्रश्न पर निर्णय लेते समय**,** न्यायालय को मामले के गुण**-**दोष को नहीं छूना पड़ता है क्योंकि यह पक्षकारों के मामले में पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है।धारा **11 (9)** के साथ पठित धारा **11 (6)** के अंतर्गत दायरा मध्यस्थ की नियुक्ति की सीमा तक बहुत सीमित है।अनुबंध के अवलोकन से पता चला कि अनुबंध में मध्यस्थता खंड मौजूद था।**[**पारस **7,9] [1030-**डी**-**ई**; 1031-**एफ**,** जी**]**

/

/

**2.** यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम का एक प्रमुख सिद्धांत है कि पक्ष मध्यस्थों की संख्या तय करने के लिए निशुल्क हैं**,** बशर्ते कि यह एक विषम संख्या हो**,** साथ ही उन्हें

नियुक्त करने की प्रक्रिया भी हो।तथापि**,** यदि पक्षकार उक्त प्रक्रिया पर सहमत होने में सक्षम नहीं हैं**,** या अपनी पारस्परिक संतुष्टि के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करने में सक्षम नहीं हैं**,** तो किसी भी पक्षकार के पास अधिनियम की धारा **11** के अंतर्गत एक उचित उपाय करने का विकल्प है**,** जो प्रावधान करता है

/

/

1027 ए.

1028 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 3 एस. सी. आर.

न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए विस्तृत तंत्र।तदनुसार**,** इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश**,** न्यायमूर्ति अमिताव रॉय को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है जो ऐसे शुल्कों पर पक्षों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करता है जो वह तय कर सकता है।उक्त नियुक्ति अधिनियम की धारा **12** के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण के अधीन है और मध्यस्थ अधिनियम की धारा **12 (5)** के अंतर्गत अयोग्य नहीं है। **[**पारस **10-11] [1031-G-H; 1032-A-B]**

/

नागरिक मूल न्यायनिर्णय:2016 का मध्यस्थता मामला (ग) सं. 53।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (5), 11 (6) (ए) के साथ धारा 11 (9) और 11 (12) (ए) के अंतर्गत पढ़ा जाता है।

/

सह

2016 का मध्यस्थता मामला (सी) संख्या 63,54 और 57

राकेश कुमार, सुश्री प्रीति कश्यप, पी. के. सचदेवा (शिबाशीष मिश्रा के लिए), मेरुसागर सामंताराय, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।सुश्री मनाली सिंघल, संतोष सचिन, सुश्री विनीता शशिधरन, जतिन मोंगिया, अभिजात पी. मेध, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. K.AGRAWAL जे. 1.आई. बी. आई. कंसल्टेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड-याचिकाकर्ता-कंपनी कनाडा में स्थित आई. बी. आई. समूह की भारतीय सहायक कंपनी है।

उपरोक्त याचिकाएं, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 11 (9) के साथ पठित धारा 11 (6) के अंतर्गत , याचिकाकर्ता-कंपनी के साथ-साथ आई. बी. आई. समूह द्वारा प्रश्न  अनुबंधों के संबंध में पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों पर निर्णय लेने के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दायर की गई हैं।

/

/

2. याचिकाकर्ता-कंपनी ने मध्यस्थ और उसकी मूल कंपनी की नियुक्ति के लिए दो याचिकाएं दायर की हैं।, आई. बी. आई. समूह ने भी इसी तरह की दो याचिकाएं दायर की हैं।चूँकि इन चारों याचिकाओं में विचार का बिंदु समान है, इसलिए यदि हम किसी भी याचिका के मामले को पेश करते हैं तो उद्देश्य पूरा होगा और इस सामान्य निर्णय  द्वारा इसका निपटारा किया जाएगा।

/

**2016** का मध्यस्थता मामला सं**. 53**

3. याचिकाकर्ता-कंपनी एक बहु-अनुशासनात्मक कंपनी है जो प्रणाली एकीकरण और रखरखाव सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है।

/

1029

आई. बी. आई. कंसल्टेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम डी. एस. सी. लिमिटेड [आर. के. अग्रवाल, जे.] ए.

टोल और यातायात प्रबंधन प्रणालियों के लिए जबकि डी. एस. सी. लिमिटेड, प्रतिवादी-कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत  पंजीकृत एक कंपनी है, जिसमें दो सहायक कंपनियां हैं। प्रत्यर्थी-कंपनी की पहली सहायक कंपनी लखनऊ सीतापुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड (एल. एस. ई. एल.) है जो प्रत्यर्थी-कंपनी का एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस. पी. वी.) है और जिसने उत्तर प्रदेश राज्य में एन. एच.-24 पर मौजूदा 2-लेन सड़क को चौड़ा करने के लिए लखनऊ-सीतापुर राजमार्ग परियोजना (एल. एस. ई. एल. परियोजना) विकसित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन. एच. ए. आई.) के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रत्यर्थी-कंपनी की दूसरी सहायक कंपनी रायपुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड (आर. ई. एल.) है, जो प्रत्यर्थी-कंपनी का एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस. पी. वी.) भी है और जिसने छत्तीसगढ़ राज्य में एन. एच.-6 पर 239 किलोमीटर से 281 किलोमीटर के बीच मौजूदा 2-लेन सड़क से 4-लेन दोहरे कैरिजवे को चौड़ा करने के लिए रायपुर-औरंग राजमार्ग परियोजना (आर. ई. एल. परियोजना) विकसित करने के लिए एन. एच. ए. आई. के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

/

/

4. 16.02.2010 दिनांकित ई-मेल के माध्यम से, प्रतिवादी-कंपनी ने याचिकाकर्ता-कंपनी को उनके एल. एस. ई. एल. और आर. ई. एल. परियोजनाओं के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर. एफ. पी.) भेजा।दिनांक 07.06.2010 के पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता-कंपनी ने NH-24 पर टोल संग्रह और यातायात नियंत्रण उपकरणों की स्थापना, निर्माण और चालू करने के लिए अनुबंध को निष्पादित करने का प्रस्ताव दिया था। प्रत्यर्थी-कंपनी ने 14.06.2010 दिनांकित पत्र के माध्यम से उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।इसके अनुसार, पार्टियों के बीच 30.08.2010 दिनांकित एक अनुबंध समझौते को निष्पादित किया गया था।अनुबंध का मूल्य पारस्परिक रूप से रुपये पर अंतिम रूप दिया गया था। अनुबंध समझौते के अनुसरण में 1,55,20,700.00।कुल मिलाकर, आई. बी. आई. समूह और याचिकाकर्ता-कंपनी ने प्रतिवादी-कंपनी के साथ संबंधित एल. एस. ई. एल. और आर. ई. एल. परियोजनाओं के लिए 6 (छह) अलग-अलग अनुबंध किए थे।

/

/

/

5. परियोजनाओं के पूरा होने के दौरान, प्रतिवादी-कंपनी ने याचिकाकर्ता-कंपनी और आई. बी. आई. समूह को सहमत भुगतान जारी करने में चूक की।हालांकि इस आशय के लिए पक्षों के बीच कई मौखिक और लिखित संचार का आदान-प्रदान किया गया था, लेकिन प्रतिवादी-कंपनी बकाया भुगतान जारी नहीं कर सकी।आई. डी. 1 पर, आई. बी. आई. समूह के साथ-साथ याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा सभी अनुबंधों के लिए बकाया भुगतान की वसूली के लिए प्रतिवादी-कंपनी को एक कानूनी नोटिस भेजा गया था।इसके अलावा, 12.06.2013 पर, प्रतिवादी-कंपनी को बकाया भुगतान के लिए एक अनुस्मारक भेजा गया था।

/

/

6. 24.04.2014 पर, मध्यस्थता खंड को लागू करने और मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए एक कानूनी नोटिस प्रतिवादी-कंपनी को भेजा गया था और श्री देबाशीष मोइत्रा, अधिवक्ता का नाम एकमात्र मध्यस्थ के रूप में सुझाया गया था, हालांकि, दूसरे पक्ष से कोई जवाब नहीं आया था। आई. बी. आई. समूह और याचिकाकर्ता ने नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2014 की मध्यस्थता याचिका संख्या 443,448,444 और 449 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत याचिकाएं दायर कीं।उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि चूंकि याचिका का एक पक्ष भारत के बाहर निगमित एक इकाई है, इसलिए ऐसी इकाई से जुड़े विवाद का मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (एफ) के अर्थ के भीतर एक 'अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता' होगी और ऐसी इकाई से जुड़े विवाद में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए, अधिनियम की धारा 11 (9) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर करना होगा। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त याचिकाएं दायर करके इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है।7. पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत याचिका के पक्षों के बीच एक मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व है और मध्यस्थ को भेजे जाने वाले विवाद (ओं) का अस्तित्व अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पूर्ववर्ती शर्त है। यह भी एक अच्छी तरह से स्थापित विधि है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के प्रश्न पर निर्णय लेते समय, न्यायालय को मामले के गुण-दोष को नहीं छूना पड़ता है क्योंकि यह पक्षों के मामले में पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है।धारा 11 (9) के साथ पठित धारा 11 (6) के अंतर्गत दायरा मध्यस्थ की नियुक्ति की सीमा तक बहुत सीमित है।इस न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद है और यदि उत्तर सकारात्मक है तो क्या याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मामला बनाया है।8. यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा 6 (ए) को शामिल करने के बाद स्थिति बदल दी गई है।जाँच की सीमा अब केवल मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व तक ही सीमित है। इस मोड़ पर, दिनांकित अनुबंध समझौते के अनुच्छेद-1 के साथ-साथ खंड 3,14 को निर्धारित करना उचित है जो निम्नानुसार हैंः-

/

/

/

/

/

/

“ अनुच्छेद-1

अनुबंध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज़ ग्राहक और ठेकेदार के बीच अनुबंध का गठन करेगा, और प्रत्येक को पढ़ा और समझा जाएगा

/

1031

आई. बी. आई. कंसल्टेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम डी. एस. सी. लिमिटेड [आर. के. अग्रवाल, जे.] ए.

अनुबंध के अभिन्न अंग के रूप में;

(i) यह अनुबंध समझौता और यहाँ के परिशिष्ट

((ii) पत्र या इंडेंट संदर्भ संख्या। कोई एल. एस. ई. एल./टोलिंग/आई. बी. आई./एच. ओ.-2 दिनांक 14 जून 2010 नहीं।

“ खंड 3,14

/

मध्यस्थता **(**जैसा कि संदर्भ में उल्लेख किया गया है।कोई एल**.** एस**.** ई**.** एल**./**टोलिंग**/**आई**.** बी**.** आई**./**एच**.** ओ**.-1** दिनांक **14** जून **2010)**

1. इस अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों और/या इसके कार्यान्वयन या व्याख्या के संबंध में उत्पन्न होने या स्पर्श करने वाले किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, इसे शुरू में आपसी चर्चा और सुलह द्वारा हल किया जाएगा, लेकिन इसकी विफलता की स्थिति में, इसे दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत एक स्वतंत्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा।मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।मध्यस्थता दिल्ली में होगी और मध्यस्थ "मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996" के अनुसार अपना निर्णय देगा।

/

/

2. मध्यस्थ की मृत्यु, उपेक्षा या कार्य करने से इनकार करने या इस्तीफा देने या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने या न्यायालय  द्वारा किसी भी कारण से उसका पुरस्कार रद्द किए जाने की स्थिति में पक्षकार पारस्परिक रूप से दूसरे को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए सहमत होंगे।

/

( हमारे द्वारा दिया गया जोर) "9. अनुच्छेद-1 के साथ-साथ दिनांकित अनुबंध के खंड 3,14 के साथ-साथ दिनांकित अनुबंध पत्र के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि दिनांकित पत्र अनुबंध का एक हिस्सा है और इसे अनुबंध के एक अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।इसलिए, प्रत्यर्थी-कंपनी का यह तर्क कि पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है, विधि  की नजर में पोषणीय  नहीं है।हमारा विचार है कि अनुबंध में मध्यस्थता खंड मौजूद है और हम इस बिंदु को याचिकाकर्ता-कंपनी के पक्ष में रखते हैं।

/

/

10. यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम का एक प्रमुख सिद्धांत है कि पक्ष मध्यस्थों की संख्या तय करने के लिए निशुल्क  हैं, बशर्ते कि यह एक विषम संख्या हो, साथ ही उन्हें नियुक्त करने की प्रक्रिया भी हो।तथापि, यदि पक्ष उक्त प्रक्रिया पर सहमत नहीं होते हैं, या गठन करते हैं

/



मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपनी पारस्परिक संतुष्टि के लिए, किसी भी पक्ष के पास अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत  एक उचित उपाय करने का विकल्प है, जो न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए विस्तृत तंत्र प्रदान करता है।

11. तदनुसार, इस न्यायालय  के एक पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है जो ऐसे शुल्कों पर पक्षों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करता है जो वह तय कर सकता है।फिर भी कहने के लिए, उक्त नियुक्ति अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत  किए जा रहे आवश्यक प्रकटीकरण के अधीन है और मध्यस्थ अधिनियम की धारा 12 (5) के अंतर्गत  अयोग्य नहीं है।

/

12. याचिकाओं के साथ-साथ अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

/

/

याचिकाओं का निपटारा किया गया।

/

/

/

/

/